Supportive supervision Vehicle Hiring - Block wise Information 2019-20

S. N.	Name of Division	Name of District	Block Name	Vehicle No	Date of Hiring	Agreement copy attached
1	Bareilly	Pilibhit	AMARIYA	UP26L 9424	01-04-19	Yes
			Lalaurikhera	UP12T 5423	01-04-19	Yes
			Barkhera	UP26T 4705 / UP26T 3511	01-04-19 / 16-05-19	Yes
			Bisalpur	UP25CE 1462	01-04-19	Yes
			Bilsanda	UP71U 0409	01-04-19	Yes
			Neoriya	UP25BA 9021	01-04-19	Yes
			Puranpur	UP35AT 2887	01-04-19	Yes

Supportive supervision Vehicle Hiring - District level Information 2019-20

S.N.	Name of District	Name of Agreement signing officer	Vehicle No-1	Date of Hiring	Vehicle No-2	Date of Hiring	Agreement copy attached
1	Pilibhit	CMO Pilibhit	UP26T 2261	01-04-19	UP26T 3842	01-04-19	Yes

Chief Medical Officer
Pilibhit

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ES 825119

अनुबन्ध पत्र

श्री रोहित अवस्थी पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार अवस्थी निवासी 199 शास्त्री नगर, सिविल लाइन–टू लखीमपुर खीरी (मैसर्स कान्हा ट्रैवल्स, 87 तखान रोड, नावल्टी सिनेमा के पास, पीलीभीत) (प्रथम पक्ष) एवं डा. सीमा अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीलीभीत (द्वितीय पक्ष)

दोनों पक्ष निम्न शर्तो के अधीन आज दिनांक 27.11.18 को यह अनुबन्ध पत्र निष्पादित करते हैं:–

1–यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जनपद पीलीभीत में विश्व बैंक पोषित/बाह्य सहायतित/राज्य पोषित अन्य सभी योजनाओं के अर्न्तगत नियमित जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं भ्रमण कार्यकम के प्रयोगार्थ वाहन हेतु प्रथम पक्ष द्वारा दी गयी निविदित दर (जी. एस.टी. एवं अन्य समस्त करों सहित वाहन का किराया प्रतिमाह रू0 30490.00 मात्र) पर प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी।

2–यह कि प्रथम पक्ष अवगत हैं कि यह अनुबन्ध पत्र द्वितीय पक्ष डा. सीमा अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीलीभीत द्वारा कराया जा रहा है जिसमें भारत सरकार अथवा राज्य सरकार इस अनुबन्ध के पक्षधारक नहीं है।

3–यह कि प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष अवगत हैं कि निविदा प्रकिया सम्बन्धी समस्त कार्यवाही एवं शर्तें इस अनुबन्ध का भाग मानी जायेंगी।

4–यह कि प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष अवगत हैं कि अनुमोदित निविदा दरें अनुबन्ध होने की तिथि से एक वर्ष अथवा अगली निविदा अनुमोदित होने तक की अवधि के लिये मान्य हैं।

5–यह कि प्रथम पक्ष अवगत हैं कि कार्यादेशानुसार समय पर कार्य/आपूर्ति न करने पर द्वितीय पक्ष कार्य/आपूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु कोई भी निर्णय लिये जाने हेतु स्वतंत्र है।

दोनों पक्षों को इस अनुबन्ध पत्र की उपरोक्त शर्तें स्वीकार हैं तथा पूर्ण विवेक से सोच समझकर हस्ताक्षरित किया गया।

Seema

ह0 द्वितीय पक्ष
(डा. सीमा अग्रवाल)
मुख्य चिकित्साधिकारी पीलीभीत

For KANHA TRAVELS
ह0 प्रथम पक्ष
(रोहित अवस्थी)
(मै. कान्हा ट्रैवल्स, पीलीभीत)
PROPRIETOR

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

3 FEB 2018

DX 88

अनुबन्ध पत्र

श्री सुमित कुमार पटेल पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार पटेल निवासी मो. गोपालसिंह, डोरीलाल फाटक पीलीभीत (मैसर्स साई ट्रैवल्स, मो. गोपालसिंह, डोरीलाल फाटक, पीलीभीत) (प्रथम पक्ष) एवं
डा. ओ.पी. सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीलीभीत (द्वितीय पक्ष)

दोनों पक्ष निम्न शर्तो के अधीन आज दिनांक ......03.18 को यह अनुबन्ध पत्र निष्पादित करते हैं–

1– यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा महामहिम राज्य महोदय, उत्तर प्रदेश की ओर से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जनपद पीलीभीत में विश्व बैंक पोषित/बाह्य सहायतित/राज्य पोषित अन्य सभी योजनाओं के अर्न्तगत ब्लाक स्तरीय "अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं भ्रमण" हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित निविदाओं के कम में प्रथम पक्ष द्वारा दी गयी निविदित दरों, रू0 32500.00 पर प्रथम पक्ष द्वारा वाहन उपलब्ध करायी जायेंगी जो कि न्यूनतम 1500 किमी की दूरी प्रतिमाह चलेंगी।

2– यह कि प्रथम पक्ष अवगत हैं कि यह अनुबन्ध पत्र द्वितीय पक्ष डा. ओ. पी. सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीलीभीत द्वारा कराया जा रहा है जिसमें भारत सरकार अथवा राज्य सरकार इस अनुबन्ध के पक्षधारक नहीं है।

3– यह कि प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष अवगत हैं कि निविदा प्रक्रिया सम्बन्धी समस्त कार्यवाही एवं शर्ते इस अनुबन्ध का भाग मानी जायेंगी।

4– यह कि प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष अवगत हैं कि अनुमोदित निविदा दरें अनुबन्ध होने की तिथि से एक वर्ष अथवा अगली निविदा अनुमोदित होने तक की अवधि के लिये मान्य हैं।

5– यह कि प्रथम पक्ष अवगत हैं कि कार्यादेशानुसार समय पर कार्य/आपूर्ति न करने पर द्वितीय पक्ष कार्य/आपूर्ति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु कोई भी निर्णय लिये जाने हेतु स्वतंत्र है।

6– यह कि प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष अवगत हैं कि शासन/महानिदेशालय अथवा अन्य उच्चाधिकारियों के स्तर से प्राप्त होने वाले दिशा–निर्देश दोनों पक्षों को मान्य होंगे।

दोनों पक्षों को इस अनुबन्ध पत्र की उपरोक्त शर्ते स्वीकार हैं तथा पूर्ण विवेक से सोच समझकर हस्ताक्षरित किया गया।

ह0 प्रथम पक्ष
(सुमित पटेल)

ह0 द्वितीय पक्ष
(डा. ओ.पी. सिंह)